International Journal of Education and Science Research Review
Volume-11, Issue-3 May-June-2024 E-ISSN 2348-6457
(Peer-Reviewed, Open Access, Fully Refereed International Journal) P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Impact Factor - 7.02 Email- editor@ijesrr.org

भारतीय परिप्रेक्ष्य में नारी सशक्तिकरण के सन्दर्भ में ''भारत रत्न बाबा साहेब'' डॉ0 भीम राव अम्बेड़कर के संवैधानिक प्रावधान

डॉ0 सतेन्द्र कुमार
सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग,
डी0ए0वी0 पी0जी0 कॉलिज, मुजफ्फरनगर (उ0प्र0)

शोध सार

Unity is meaningless without accompaniment of women, Education is fruitless without educated women and Agitation is incomplete without the strength of women.
Dr. B.R. Ambedker

"तुम मुझे एक योग्य माता दो, मैं तुमको योग्य राष्ट्र दूंगा" नेपोलियन बोनापार्ट के वक्तव्य को क्रियांवित रूप देने हेतु नारी सशक्तिकरण हेतु भारतीय संविधान में कई व्यवस्थाएं की। प्राचीनकाल में भारत में महिलाएं अधिक सशक्त, समृद्ध एवं प्रभावशाली स्थिति में थी परन्तु मध्यकाल की ओर अग्रसर होते–होते इस स्थिति में प्रतिकूल परिवर्तन स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होने लगा। स्वतंत्रता से पूर्व एवं पश्चात् इस स्थिति को सुधारने व प्राचीन अस्तित्व की तरह सशक्त बनाने के लिए कई समाज सुधारकों ने अनेक परिवर्तन किये। महिलाओं की स्थिति में सुधार करने में डॉ0 अम्बेडकर का प्रयास सराहनीय है। इनका मत था कि जब ईश्वर ने मनुष्य के निर्माण में जीवन जीने आदि को आधार नहीं बनाया तो मनुष्य कौन होता है इस स्थिति में परिवर्तन करने वाला। इसलिए महिलाओं को अधिकारों से वंचित करने वाला कोई भी प्रयास निंदनीय है। भारत की नारी सशक्तिकरण हेतु डॉ0 अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में आवश्यक प्रावधान किये। यह सभी प्रावधान नारी सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में 'मील का पत्थर' साबित हुआ। जिसके कारण महिलाओं ने स्वयं में परिवर्तन किये और वे पुरूष के समान सभी क्षेत्रों में अनुकूल अनुपात में बढ़ रहीं हैं परन्तु वर्तमान में आवश्यकता है, महिलाओं में स्वयं की जागरूकता उत्पन्न होने की, जिससे वे और अधिक सचेत होकर स्वयं को सशक्त बना सकें।

प्रस्तावनाः

प्राचीन भारत यानि कि हड़प्पा काल से लेकर ऋग्वैदिक काल तक स्त्रियों का स्थान उच्च एवं सम्मानीय था। प्राचीन ग्रन्थों में अनेक विदूषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है, जिनमें उर्वसी, घोषा, अपाला, विश्वतारा, गार्गी, मैत्रयी तथा अत्रैयी आदि के नाम उल्लेखनीय है। इसी सन्दर्भ में मनुस्मृति में कहा गया

है, **"यत्र नार्यास्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवतः।"** अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। वर्तमान भारत में सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर पर सर्वाधिक ज्वलंत विषय महिला सशक्तिकरण है। प्रत्येक स्तर पर महिला सशक्तिकरण का स्वर गूँज रहा है, जो इस बात का सूचक है कि अतीत में भारतीय महिलाओं की दशा अत्यंत दयनीय थी एवं उनकी शैक्षिक, सामाजिक तथा राजनीतिक भागीदारी अपने न्यूनतम स्तर पर थी। सशक्तिकरण एक बहुआयामी धारणा है जिसका सम्बन्ध लोगों की सामाजिक उपलब्धियों, आर्थिक एवं राजनीतिक सहभागिता से जुड़ा होता है। इसके साथ ही सशक्तिकरण एक सत्त प्रक्रिया भी है और इसकी कोई भी अंतिम सीमा नहीं है। भारत में महिला सशक्तिकरण को समझने के लिए हमको सर्वप्रथम सशक्तिकरण का अर्थ जानना होगा। सशक्तिकरण से अभिप्राय लोगों को अधिक से अधिक अधिकारों का उपभोग करने एवं परतंत्रता की बेड़ियों से छुटकारा मिलने से है। इसका अर्थ आत्मनिर्भरता से भी लिया जाता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आत्मनिर्भर हुए बिना सशक्त नहीं हो सकता। अतः सशक्तिकरण की प्रथम आवश्यकता–आत्मनिर्भरता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण रूप से सशक्त नहीं हो सकता। इस प्रकार सशक्तिकरण को परिभाषित करना और उसे मापना एक चुनौती है। महिलाओं के सन्दर्भ में यह और भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि महिलाओं के साथ दीर्घकाल से भेदभाव होता रहा है, जिसका परिणाम यह हुआ कि समाज में लैंगिक असमानता अर्थात स्त्री और पुरूषों की संख्या के मध्य असमानता बढ़ती गयी। महिला सशक्तिकरण को मैथिलीशरण गुप्त का यह कथन स्वतः दर्शाता है–

"नारी पर नर का कितना अत्याचार है।
लगता है, विद्रोह मात्र ही अब उसका प्रतिकार है।।'

कालान्तर में धर्मशास्त्र युग से मध्यकाल तक आते–आते समाज में अनेक कुरीतियाँ फैल गयी, जैसे, सतीप्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, वेश्यावृत्ति तथा दास प्रथा आदि जिनके फलस्वरूप महिलाओं का पतन आरम्भ हो गया और धीरे–धीरे उन्हे शिक्षा के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। हम कह सकते है कि तत्कालीन भारत में हमने महिलाओं के उत्थान के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए एवं उन्हें उनके मूलभूत अधिकारों, शिक्षा, सामानता, स्वतन्त्रता आदि से वंचित रखा गया, जिसके कारण हमारे समाज की आधी जनसंख्या मुख्यधारा में आने से वंचित रह गयी। इस जनसमूह को हमने घरों में कैद करके स्वयं अपने ही परिवार एवं समाज की प्रगति तथा विकास में बाधा पहुचायी। जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारी गिनती अल्पविकसित एवं रूढ़िवादी देशों में की जाती है। डॉ0 अम्बेडकर के अनुसारः स्वतंत्रता के उपरान्त हमने अपनी गलितयों पर पश्चाताप करते हुए अतीत में की गयी भूलों को सुधारा

और ने भारतीय संवैधानिक प्रावधान में स्त्री–पुरूष समानता का सिद्धांत दिया। जिसमें महिलाओं की समानता की गारंटी सन्निहित है। परिणाम स्वरूप महिला सशक्तिकरण के विकास का सूत्रपात हुआ। डॉ0 अम्बेडकर का संविधान मात्र भारत सरकार के संगठन एवं प्रक्रिया का दस्तावेज़ ही नहीं है बल्कि यह सामाजिक, लैंगिक समानता एवं आर्थिक विषमताओं का उन्मूलन कर एक समतावादी समाज निर्माण की दिशा में उठाया गया कदम भी है। डॉ0 अम्बेडकर किसी अन्य बात को लेकर इतना चिंतित नहीं थे, जितना कि स्त्री–पुरूष की असमानता एवं महिलाओं की दयनीय स्थिति को लेकर थे। डॉ0 अम्बेडकर ने यह स्वीकार किया कि राष्ट्र की प्रगति का अभिन्न सम्बन्ध महिलाओं की प्रगति से है, उनका मानना था कि स्त्रियों की सक्रीय भागीदारी के बिना प्राप्त की गयी स्वतंत्रता खोखली एवं बेमानी होगी।

डॉ0 अम्बेडकर का प्रथम उद्देश्य महिलाओं को अमानवीय स्थिति से निकालकर मानवीय धरातल पर रखना था, द्वितीय उद्देश्य महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार प्रदान करना एवं तृतीय उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक एवं शैक्षिक पृष्ठभूमि को देखते हुए अनेक संरक्षणात्मक प्रावधानों एवं विशेषाधिकारों द्वारा महिलाओं की संरक्षा, समानता एवं विकास को सुनिश्चित करना था। डॉ0 अम्बेडकर का संविधान महिला–पुरूष समानता की दिशा में एक प्रगतिशील अभिलेख है, जो न केवल महिलाओं एवं पुरूषों को समान अधिकार प्रत्याभूत करता है बल्कि महिलाओं की मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक स्थिति को देखते हुए विशिष्ट प्रावधानों द्वारा महिलाओं के विशेषाधिकार भी प्रदान करते हैं। वास्तव में डॉ0 अम्बेडकर महिलाओं के प्रति इतने संवेदनशील थे कि उन्होंने अनेक प्रावधानों द्वारा महिलाओं को संवैधानिक रूप से सशक्त करने के लिए उपबन्ध किये। डॉ0 अम्बेडकर के इन प्रयासों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना से ही देखा जा सकता है। डॉ0 अम्बेडकर, संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता, समानता, न्याय, गरिमा जैसे अन्य आदर्शों को बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों अर्थात पुरूष एवं स्त्रियों को एक साथ प्रदान करने की सद्इच्छा व्यक्त की है। डॉ0 अम्बेडकर के विचारों में लैंगिक आधार पर भेद कदापि नहीं आया। उन्होंने समानता को समस्त संविधान के मूलसूत्र के रूप में स्वीकार किया है। इन्होंने संविधान की प्रस्तावना के अतिरिक्त महिलाओं को अधिकार प्राप्ति से सम्बन्धित अन्य प्रावधानों में भी समानता के अधिकारों को स्पष्ट किया है। इस सन्दर्भ में नागरिकता का प्रावधान महत्त्वपूर्ण है। डॉ0 अम्बेडकर के संविधान द्वारा भारत में नागरिकता का अधिकार बिना किसी भेद–भाव के स्त्री–पुरूष दोनों को प्राप्त है। डॉ0 अम्बेडकर के प्रयासों के परिणामस्वरूप ही

स्वतंत्र भारत में अनेक महिलाओं ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम प्रकाशमान किया एवं अनेक महिलाओं ने देश के सर्वोच्च पदों को सुशोभित किया और अनेक महिलाओं ने उन क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किए जो कि सिर्फ पुरूषों के लिए माने जाते थे। उदाहरण स्वरूप एशिया की पचास सर्वाधिक शक्तिशाली कारोबारी महिलाओं की एक सूची अमेरिकी वणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स ने मार्च 2012 में जारी की जिनमें भारत की कुल नौ करोबारी महिलाओं को इस सूची में स्थान प्राप्त हुआ। इसी क्रम में प्रतिभा पाटिल (प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति), इंदिरा गाँधी (प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री), मीरा कुमार (प्रथम भारतीय महिला लोक सभा अध्यक्ष), फ़ातिमा बीबी (प्रथम भारतीय महिला मुख्य न्यायधीश–सर्वोच्च न्यायालय), सरोजनी नायडू (प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल), सुचेता कृपलानी (प्रथम भारतीय महिला मुख्यमन्त्री), सोनिया गाँधी (यू0पी0ए0 एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति की अध्यक्ष), किरण बेदी (प्रथम भारतीय महिला आई0पी0एस0), कल्पना चावला (प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री), बच्छेन्द्री पाल (एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला), शांति टिग्गा (प्रथम भारतीय महिला सैनिक), चन्द्रा कोचर (भारत की सर्वाधिक शक्तिशाली कारोबारी महिला) एवं सावित्री जिंदल (भारत की सर्वाधिक धनी महिला) आदि महिलाओं ने पुरूष वर्चस्ववादी समाज में स्वयं को सिद्ध किया एवं एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया, जिसके लिए अनेक पुरूष उनसे रस्क करते हैं एवं आज भी ये अनेक महिलाओं की प्रेरणास्त्रोत हैं। यह महिला सशक्तिकरण का एक उजला पक्ष था, लेकिन दूसरा स्याह पक्ष यह है कि अभी भी हमारे समाज में बालिकाओं एवं महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह समाप्त नहीं हुआ है। इस पूर्वाग्रह को मैथिलीशरण गुप्त का यह कथन स्वतः इंगित करता है–

"अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी।
आँचल में है दूध और आँखों में पानी।।"

यह भेदभाव परिवारिक स्तर से लेकर सामाजिक स्तर तक में परिलक्षित होता है जिसमें आज भी हमारे परिवारों में भेदभावपूर्ण अधिकार एवं सुविधायें प्राप्त हैं, जबकि दूसरी बात यह है कि अभी भी हमारे समाज में कन्या भ्रूण हत्या का प्रचलन बना हुआ है। जिसके परिणामस्वरूप हमारे देश में लिंगानुपात यानि कि स्त्री–पुरूष अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 940:1000 है अर्थात् प्रति 1000 पुरूषों पर 60 महिलाओं की कमी, एवं बाल लिंगानुपात 914 है। शर्म की बात तो यह है कि कन्या भ्रूण हत्या का प्रचलन अशिक्षित एवं आदिम समाज में ही प्रचलित नहीं हैं, बल्कि शिक्षित एवं सभ्य समाज में भी इसका प्रचलन

ज़ोरों पर है। इस घृणित कार्य में सिर्फ परिवार का मुखिया ही ज़िम्मेदार नहीं है बल्कि शिक्षित डॉक्टर जिसे हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, वे भी ज़िम्मेदार है। जो चन्द रूपयों के लिए कन्या भ्रूण को समाप्त करने के तरीके बतलाते हैं। दूसरी ओर प्रभावित माता को इस बात की कुछ भी जानकारी नहीं होती कि बालिका के जन्म में उसकी कोई भूमिका नहीं होती बल्कि ये पूरी तरह पुरूष के शुक्राणु पर निर्भर करता है। अपनी अज्ञानता के चलते वे कोई विरोध नहीं कर पाती और लड़का पाने की लालसा में गलत कार्य में सहयोग देती हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि यदि उनके ही माता–पिता उन्हें न पैदा होने देते तो क्या उनका जीवन सम्भव होता? शायद नहीं। अतः महिलाओं को इस अनैतिक कार्य को समाप्त करने के लिए स्त्री होने के नाते आगे आना चाहिए।

''अब भी न संभलेगी तो मिट जायेगी ही।
दाँस्ता तक भी न होगी हमारी दाँस्तानों में।।'

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महिलाओं के दृष्टिकोण से भारत में डॉ0 अम्बेडकर के संवैधानिक प्रावधान से उनकी प्रगति हुई है, लेकिन यह प्रगति अभी भी संतोषपूर्ण स्तर से कम है क्योंकि महिला सशक्तिकरण के अभाव का न केवल महिलाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ा है बल्कि इसका असर सम्पूर्ण समाज के विकास पर पड़ा है। यदि वर्तमान पूर्वाग्रहों पर विजय पाना है, तो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा उन्हें स्वयं और पूरे समाज को मिलकर करनी होगी। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, ऋण सुविधायें एवं निर्णय लेने के साथ–साथ और अधिक सामाजिक, राजनीतिक एवं कानूनी अधिकार प्राप्त देने होंगे जिससे वे सही अर्थों में सशक्त और समर्थ बन सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:

- 'सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन' (2008), NCERT, New Delhi
- सिंह, कर्ण (2009), 'भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास' (Govind Publication, Lakhimpur-Khiri)
- बसु, डी0डी0 (2011), भारत का संविधान– एक परिचय; (Wadhwa & Company Publication-New Delhi)
- सुराना, ज्ञानचन्द्र (2015), ''महिला सशक्तिकरण'' प्रतियोगिता दर्पण, जून, पेज सं0 91, समसामयिकी महासागर–2009